THE BOOK S.C.P A-JULY TO THE MISSELLY OF THE CHILD मामानिक साम कि साम कि नाम कि नाम कि नाम कि नाम कि MIN THE THE

्राम् आधिकार अभिनियम्, २००६ के अन्त्रीत अनापारत प्रमाण-पत्र

गाम विवासत हम् विवास मिन 500 तहसील्झानास्त्री, जिल

वत्तराख्यु में कृतात व्याप्य ने कत्त्वर्ग व्याप्य विश्वाचित्रमणिनी क निर्माण हितु । ७० ३० आउहार वन भूमि, ०० में हैं। सिवल सोयम भूमि..... हैं०,

संबंध में अनापरित प्रभाग पत्र निर्मल करने हेतु विस्तुत वाम की गई। यह कि वन अधिकार आवेदित मन भूमि पर गानवासियों के परम्परागत आधकारी मा हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के जाशन्त प्राम संभा होता सर्वसम्मति हो निर्मात होता गया / प्रस्ताव पारित किया स्था कि साम अस्परित की सामवासियों को उस्त वन भूमि किया स्था कि साम अस्परित को परियोजना के निर्माण हैत दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं प्रमाणिक किया जो संस्य एवं सही है।

ग्राम सार

नोट :- * सहि किसी आदिवासी अथवा दनवासी की किसी भूति प्र तत्तुसार उसाल वित्रण उक्त प्रवंत्र में दिया उन्हों प्रमुन छ। किल्वाहाकारी की आग्रमाता में महिता स्विक्ति होशा प्राप्त की एजेन्सी की उपलंका कराया जायेगा।

दिनांक 3/9//८ को ग्राम समा की सम्पन्न दैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत अल्पकार

उमांक द्रियामार्वेष्ट्र शास्त्री मार्ग के नाम	विकास विवर्
13 3 10 2 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3000	भावन्त्र
MEN CON	डरामिट
हिवकी देशी	लिट्टेन दिवा देवनी देवी
विभवा/ ६	विभला हेर्
Cofe wo Wal-	(Dn)
रामक्राज्या)	Range of stall
क्लात्र एको	2500000


ह0/-ग्राम प्रधान र क्या प्रधान देखा ग्राम पचायत अक्साडा (बनलेख) विठखा-- नागश्वर जनपट-बागश्वर शी व्यादानाहित ही अध्यक्ष अध् श्री स्थापन साम्या साल राज्यात हो ।

उपखण्ड सचिव द्वारा मान-भिय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाडी प्रारम्भ की गई। मानाधिय सदस्यों को अवगत कराया गया

जनपद बाजेश्वा में स्वतन्त्रता हेनानी ज़ी राज्यका जांच को जनलेख नेत्राय कार्ज के किलान का कार्य भूमि

प्रयोक्ता एजेन्स्। के पक्ष में हरतान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मानंनीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत तनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा धारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

नद्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य प्रभूपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्मन किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / वंचायन द्वारा अनापतित जारी की पा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड रतशिय वन अधिकार नामिति हारा अनापित जाहा की जा सकती है।



वन पंचायत उत्तर्रोहा. की बैठक कार्यवाही

दिनांक 12/9/15 का वन पंचायत. अन्सीर की बैठक हुई जिसमें साव मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भून आ रही है। । जिस पर नोडल अधिकारी कार्यालय हारा वन पचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रति सहित भेजने को लिखा गया है।

आज दिनांक 12/9/15 को जन पंचायत अतिसीड़ा की आम बैठक की गयी, जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन प्रचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तिरेत करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ਵ0

वन पंचायत-अक्सीडा

जनपद-बागेश्वर, रनेज-घरमधर

दिनांक

रशान --

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोद्या निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

१-ट्रिसिह १-ल्प्मी देवी ३ देवकी देवी ५- बिमला हेवी

सरपच

जनपद-बागेश्वरः रनेज-घरमध

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नामः—जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के एस.सी.एस.पी. में चयनित ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से एस.सी.एस.पी. में ही चयनित ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी. श्री राम दत्त जोशी के गांव को बनलेख मोटर मार्ग में मिलान के कार्य का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के एस.सी.एस.पी. में चयनित ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से एस.सी.एस.पी. में ही चयनित ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव को बनलेख मोटर मार्ग में मिलान के निर्माण हेतु 1.687 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ0सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

परियोजना का नाम:—जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के एस.सी.एस.पी. में चयनित ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से एस.सी.एस.पी. में ही चयनित ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव को बनलेख मोटर मार्ग में मिलान के कार्य का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के एस.सी.एस.पी. में चयनित ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से एस.सी.एस.पी. में ही चयनित ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव को बनलेख मोटर मार्ग में मिलान के निर्माण हेतु 1.687 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण—पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लिखत नहीं है।

जिल्लाधिकारी जिल्लाधिकारी बागेश्वर

Form-1 (for liner project) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Bageshwer

N	0															
. , ,	1	•••	•	**	٠	٠	+		٠			×	٠			

Dated .. 1.7 | 09 | 2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.687 heetares of forest and proposed be diverted in favour of Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Gwatoli-Kareempur to Freedom fighter Shri Ram Dutt Joshi's village (Length 2.00) in Bageshwer district falls within It is further certified that:-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried
 out for the entire 1.687 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all
 consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to
 annuxer.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other
 traditional forest Dwellers.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have givin their consent ti it;......Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No onjection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.

Enclosed- as above

Dated 17/09/2015

Signature

(Bhupal Singh Manral)
District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector

Form-II

(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

370	
NO	

Dated 17 109 2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having
initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest
Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non
forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear
projects, it is certified that 1.687 heetares of forest and proposed to be diverted in favour of Construction Division
Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of GwatoliKareempur to Freedom fighter Shri Ram Dutt Joshi's village (Length 2.00) in Bageshwer.

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the
 entire 1.687 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings
 of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level
 committee are enclosed as annexure......to annexure.......
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA:
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been
 carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and
 ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of
 certificate issued by the gram sabha of Aksora Village (s) is enclosed as annexure.
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

Encl: As above

Bhupal Singh Manral
District Collector
Bageshwar

वागेश्वर

Office of the Deputy Commissioner District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated: 17/09/2015

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe